25.03.2021

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। विचारण मुसन्ने का अवलोकन किया गया। इस पत्रावली के मूल राजस्व वाद प्रकरण संख्या 29/2016 अन्तर्गत धारा 88 188 आर.टी.एक्ट में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां अपील दायर की हुई होकर, वर्तमान में जैरकार्यवाही है। माननीय न्यायालय से मामले में किसी भी प्रकार के नवीन निर्देश आने तक इस न्यायालय में विचारण मुसन्ने को एक ही चरण पर पैशी दर पैशी चलाया जाता रहा है। किन्तु विगत 05 वर्षो से किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश मा. न्यायालय से आना नही पाया गया है। ऐसी स्थिती में इस पत्रावली को एक ही चरण पर निरन्तर चलाया जाने का कोई ओचित्य प्रतीत नही होता है। उपरोक्त स्थिति से वादी अधिवक्ता भी सहमत है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के इस न्यायालय में विचारणिय मुसन्ने में आगे की कार्यवाही माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से नवीन निर्देश आने तक स्थगित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.31 16:33:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner